भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2495
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की मान्यता/समतुल्यता

†2495. श्री एम.के. राघवनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई राज्य और निजी विश्वविद्यालय तथा भर्ती एजेंसियां इग्नू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों से नियमित, दूरस्थ और ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त डिग्रियों के लिए समतुल्यता प्रमाणपत्र की मांग कर रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों में शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की एक समान मान्यता/समतुल्यता सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययनों में नियमित/परम्परागत पद्धति के साथ दूरस्थ और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्राप्त योग्यताओं की समतुल्यता के मुद्दे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 द्वारा विनियमित किया जाता है, जो यूजीसी की वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 22 में 'पारंपरिक या मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अर्जित योग्यता की समतुल्यता' के बारे में प्रावधान है।

यूजीसी डिग्री की समतुल्यता के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग संघों आदि को भी पत्र लिखता है।

*****